रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 310] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 2015/भाद्र 17, 1937
No. 310] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2015/BHADRA 17, 1937

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 8 सितम्बर, 2015

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक एक्सचेंजों पर विनियामक फीस) (संशोधन) विनियम, 2015

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2015-16/015.-भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ट) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक एक्सचेंजों पर विनियामक फीस) विनियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक एक्सचेंजों पर विनियामक फीस) (संशोधन) विनियम, 2015 कहा जा सकेगा।

2. वे 28 सितम्बर, 2015 को प्रवृत्त होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक एक्सचेंजों पर विनियामक फीस) विनियम, 2006 में, विनियम 4 में, उप-विनियम (1) में, -

 (i) स्पष्टीकरण में, चिह्न "।" के लिए, चिह्न ":" प्रतिस्थापित हो जाएगा;

 (ii) स्पष्टीकरण के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

 "परंतु यह कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक एक्सचेंजों पर विनियामक फीस) (संशोधन) विनियम, 2015 के प्रारंभ की तारीख से दो वर्षों की अवधि तक, प्रादेशिक कमोडिटी व्युत्पन्नी एक्सचेंज (रीज़नल कमोडिटी डेरिवेटिव्ज़ एक्सचेंज) बोर्ड को, सुसंगत (संबद्ध) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीस दिनों के भीतर, पचास हजार रुपए की वार्षिक विनियामक फीस अदा करेगा।"

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./69-जैडबी/15(200)]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक एक्सचेंजों पर विनियामक फीस) विनियम, 2006, का.आ. सं. 2097(अ) द्वारा, 14 दिसम्बर 2006 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक एक्सचेंजों पर विनियामक फीस) विनियम, 2006 तत्पश्चात् 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 8th September, 2015

Securities And Exchange Board of India (Regulatory Fee on Stock Exchanges) (Amendment) Regulations, 2015

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/015.-In exercise of the powers conferred by Section 30 read with clause (k) of sub-section (2) of section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Fee on Stock Exchanges) Regulations, 2006, namely:—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Fee on Stock Exchanges) (Amendment) Regulations, 2015.
2. They shall come into force on the 28th day of September, 2015.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Fee on Stock Exchanges) Regulations, 2006, in regulation 4, in sub-regulation(1), -
 (i) in the Explanation, for the symbol ".", the symbol ":" shall be substituted;
 (ii) after the Explanation, the following shall be inserted, namely:-
 "Provided that for a period of two years from the date of commencement of Securities and Exchange Board of India (Regulatory Fee on Stock Exchanges) (Amendment) Regulations, 2015, a regional commodity derivatives exchange shall pay to the Board, an annual regulatory fee of fifty thousand rupees, within thirty days of conclusion of the relevant financial year."

U. K. SINHA, CHAIRMAN

[ADVT.-III/4/Exty./69-ZB/15(200)]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Regulatory Fee on Stock Exchanges) Regulations, 2006 were published in the Gazette of India on 14th December, 2006 vide S.O. No. 2097(E).

2. The Securities and Exchange Board of India (Regulatory Fee on Stock Exchanges) Regulations, 2006 were subsequently amended on 23rd May, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.